

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/x-03-00781/2024/२१)

दिनांक:- 14/5/24

—:: संशोधन आदेश ::—

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/ X-3-00781/ 2024/184 दिनांक:-15.04.2024 के क्रम संख्या 05 पर अंकित श्रीमती चन्द्रकान्ता कुमावत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उपकैन्द्र मोहराकलां जिनकी राज्य सेवा में 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर 30.05.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/ X-3-00781/ 2024/२१)

दिनांक:- 14/5/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा/टोंक/कैकडी/अजमेर/ब्यावर।
4. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. संस्थापन अधिकारी, गोपनीय अनुभाग अराजपत्रित/डी0पी0सी0/राज हैल्थ अनुभाग, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6727327

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :14-05-2024 10:07:10